

:प्रारूप:41:

(1)

अधिशाली अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि चम्बा के पत्र संख्या: 393/13 एम0जी0 दिनांक:09.03.2018 के द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत चम्बा मसूरी मोटर मार्ग के काणाताल से अधियारें गढ़ी सनगांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य हेतु भूमि हस्तान्तरण के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि 2.520हे0 कुल भूमि 2.520 हे0 भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव उप जिला अधिकारी टिहरी के माध्यम से निम्नवत प्रस्तुत किया गया है।

आरक्षित वन भूमि का विवरण:-

वन प्रभाग का नाम	रेंज/ग्राम सभा का नाम	वन ब्लॉक	लम्बाई मी0 में	चौड़ाई मी0 में	क्षेत्रफल (हे0 में)	वर्तमान सर्किल रेट की दर से मूल्यांकन (अकृषित दर 150रू0 प्रति वर्ग मी0 की दर से)
1	2	3	4	5	6	
नरेन्द्रनगर	सकलाना	खुरेत कक्ष सं0-8,9,10,11,	3600मी0	7 मी0	25200 वर्ग मी0 (2.52हे0)	37,80,000.00 (150 रू0प्रति वर्ग मी0 की दर से)
कुल योग-रू0-37,80000.00 (सैतीस लाख अस्सी हजार मात्र)						

उप जिलाधिकारी टिहरी के पत्र संख्या:83/र0का0/(भू0ह0योजना)2018 दिनांक:15 मार्च 2018 के द्वारा नरेन्द्रनगर सकलाना रेंज के अन्तर्गत अकृषित भूमि का मूल्य रू0-150×2.520 ×10,000.00=37,80,000.00(सैतीस लाख अस्सी हजार मात्र) आंकलित किया जाता है।

प्रस्ताव पर उपलब्ध संबंधित अधिकारियों के द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के अनुसार हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि याचित प्रयोजन हेतु उपयुक्त एवं न्यूनतम है।

क्रमांक:- 259/XXVI-21

दिनांक:- 24/3/18


जिलाधिकारी,
टिहरी राढ़वाल।